

परियोजना का नाम:- मसूरी सीवरेज योजना (आरकेडिया ज़ोन)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

परियोजना का नाम:-

Mussoorie Sewerage Scheme estimate cost
Rs. 6173.25 lacs under Urban Infra structure Development Scheme for
Small and Medium Town (UIDSSMT).

Financial Sanction: Ministry of finance Government of India vide
letter No 59(3) PF-1/2008-587 date 18.03.2009 (atteched)


(प्रयोक्ता एजन्सी)
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pwajal Nigam
Mussoorie (Dehradun)

753/2117013/05 (U) 11/4/2011

83

T.S. INET

753-77

सि० /IV-रा०वि०-09-22(एन०यू०आर०एम०)/08

प्रति,

डा० राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

attested

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1/6
Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayat Nigam
Mussoorie (Dehradun)

शहरी विकास अनुभाग-2 :

देहरादून: दिनांक-26 मार्च, 2009.

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के तप मिशन यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० के अन्तर्गत मसूरी की सीवरेज हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(3)/P.F.-1/2008-587 दिनांक 18-3-2009 द्वारा मसूरी की सीवरेज हेतु हेतु रु० 6173.25 लाख की सी०पी०आर० संस्तुत करते हुए प्रथम चरण के लिए केन्द्रांश की धनराशि रु० 2469.30 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के विपरीत केन्द्रांश के रूप में रु० 2469.30 लाख तथा इस धनराशि के सापेक्ष राज्यांश रु० 617.33 लाख की धनराशि सहित कुल रु० 3086.63 लाख के विपरीत रु० 467.00 लाख संगत मद से एवं रु० 400.00 लाख बावस एवं मलिन प्रस्ती सुधार तथा रु० 2219.63 लाख नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन योजन के संलग्न सी०एम०-15 में उल्लिखित अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन के द्वारा इस प्रकार कुल रु० 3086.63 लाख (रुपये तीस करोड़ छियासी लाख त्रैसठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 5-2-2009 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किर जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जि योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि व वापस करने की किसी भी शर्त नहीं होगी।

(6)

भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बजट स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।

निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 15/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15-12-2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निर्धारित करा लिया जायेगा।

योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्वीकृत धनराशि के तद्वय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगमन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति को स्पष्ट चलेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगमन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उचित अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

आगमन में उल्लिखित दरों को विरलेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त प्रायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये। कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

attested
Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pwajal Nigam
Mussoorie (Dehradun)

11/4/2011

05

होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2008-09 के आय-व्यय के अनुदान
कोष-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरी का
आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
जमा-04-नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण-42-अन्य व्यय
आयेगा।

सर्व विभाग के अशाओसं०-1467/XXVII(2)/2009, दिनांक- 26 मार्च,
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

R. C.

(डा० राकेश कुमार)
सचिव।

09-तददिनांक।

लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(आ एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।

(ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।

मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।

मण्डल, पौड़ी।

कोशी, देहरादून।

देहरादून।

-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

आईओसीओ, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर
आईओसीओ में इसे शामिल करें।

मियन्ता, दून डिवीजन, उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम

कोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

5
Attest
Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Mussoorie (Dehradun)

06

No.Q-12045/ 27/2 /UIDSSMT/08-CPHEEO
Government of India
Ministry of Urban Development
CPHEEO

SUB: Sewerage Schemes, Water Supply Scheme for Mussoorie town in Uttarakhand- under UIDSSMT - Technical Approval - Regarding.

FR is the Minutes of the Meeting of State-Level Sanctioning Committee (SLSC) Chaired by the Secretary Urban Development, Govt. of Uttarakhand for the projects posed under UIDSSMT held on 05.02.2009 in his Office, wherein it has been informed that 3 Nos. of DPRs for various infrastructure works like water supply, Sewerage for Mussoorie town and solid waste management for Chomoli / Gopeshwar town have been considered recommended for possible financial assistance under UIDSSMT.

The Ministry have requested the CPHEEO to appraise the said DPR and forward the report to the Ministry to consider for possible financial assistance under UIDSSMT during the Current year.

Comments of CPHEEO

The same has been examined and recommended to the cost mentioned against the town for eligible central share under UIDSSMT as per the guidelines.

Sl No	Name of the Town	Proposed Cost By State Govt. (Rs in Lakhs)	Recommended for eligible Central Grant (Rs in Lakhs)
SEWERAGE SCHEME			
1	Mussoorie	9486.02	6173.25

Appraisal report for Mussoorie Sewerage Scheme is enclosed with technical remarks mentioned in the Annexures. The Variation in the cost due to deduction of per MLD cost of STPs has been made.

Enc Original/Revised DPRs and
Appraisal report

D.A.(phe)

J.S. (JnNURM)

attested
CL
Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pwaj Nigam
Mussoorie (Dehradun)

S.D.E.(M)

07

**CPHEEO
SEWERAGE SECTOR
APPRAISAL REPORT OF PROJECTS UNDER UIDSSMT**

Name of the scheme	Detailed Project Report of Mussoorie Sewerage Scheme.
Name of State/ UT	Uttarakhand
Name of City/District	Mussoorie
Need of project	Mussoorie is a famous hill station of North India & the biggest tourist hub of Uttarakhand. The Sewerage System network needs to be provided to all developed areas of the city. By providing a modern sewerage system, Better environment & hygienic condition will prevail, which will attract more tourist causing general prosperity to the local people & it also increase the income of ULB. Though partial areas are sewerage but having no sewage treatment facility the sewage is being discharged into open natural nallas creating un-hygienic conditions, hence, it is necessary to provide proper sewer network and sewage treatment facility in the town.
Population -As per 2001 Census -Design Population	26069 82436 by 2011, 95043 by 2026 and 108689 by 2041 AD
Water Availability	9.188 MLD presently available Proposal for 2.5 and 0.79 totaling 3.29 MLD has been submitted in Mussoorie Water Supply Scheme under UIDSSMT. Hence the water supply shall be augmented to 135 lpcd + 15% losses in 2011 other water supply schemes are also under consideration to cater the demand upto the design year 2041.
Design Waste Water Capacity	8.90 MLD by 2011 9.63 MLD by 2026 11.74 MLD by 2041
Proposed System/ method	In view of exhaustive planning of sewerage system of Mussoorie Nagar Palika area. The total area is divided into 10 zones viz. 1. Camel's Back 2. Arcadia 3. Company Garden 4. Kulri 5. Landour North 6. Happy Valley 7. Library 8. Shergarhi 9. Bhatta Gaon 10. Dhobighat. Keeping in view the general topography and drainage pattern. Sewer network varies from 150mm to 250mm dia of 63890m in RCC / D.I. Pipes. Separate treatment is proposed for each sewerage zone of the capacity for the year 2026 totaling 9.63 MLD for 10 STPs, adopting Sequential Batch Reactor Technology.
Land availability	Out of 10 STP 8 STP are proposed on the land reclaimed by dismantling the existing septic tanks. Provision for purchase of lands for rest of the 2 STPs has been made in the estimate.

10

Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pwaj Nigam
Mussoorie (Dehradun)

Period of Implementation	30 months (March 2009 to August 2011)
Funding Pattern	As per UIDSSMT Guidelines
Implementing Agency	Uttarakhand Peyjal Nigam
Agency responsible for O&M	Nagar Palika Parisad, Mussoorie
Commitment to make the scheme self sustainable	A commitment may be obtained from ULB in the form of resolution that the realistic tariff as suggested in the DPR will be implemented on completion of the scheme. The ULB shall make an action to recover the same from the beneficiaries for sustainability of the scheme.
Recommended Estimated cost of DPR	Rs. 6173.25 Lakh with the 2008-09 price level. No escalation clause is allowed during the implementation period.
CPHEEO's Technical Comments	As per the Annexure and to be followed during the Implementation.

MUSSOORIE SEWERAGE SCHEME UNDER UIDSSMT COST ESTIMATE

(Rs in lacs)

Components wise project cost	Cost appraised by State Govt. (SLNA)	Recommended by CPHEEO
Supply and laying of DI K-7/ NP-3 pipes for trunk, Lateral & Branch Sewers. & appurtenant work.	4380.85	4380.85 ✓
Wastewater Treatment Plant, main pumping station & appurtenant works	3419.98	1445.00 ✓
Manhole house	5.35 ✓	5.35 ✓
Electricity works	54.35 ✓	54.35 ✓
Sludge Main	10.81 ✓	10.81 ✓
Sub Total	7871.34	5896.36
Contingencies @ 3%	236.14	176.89
Total	8107.48	6073.25
12% work charged Establishment	X 162.15	-
Sub Total	8269.63	6073.25
Administrative charges 0.5%	-	accepted
Sub Total	8269.63	6073.25

Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Mussoorie (Dehradun)

11

Cost of Land acquisition	100.00	100
Consultancy Charges for preparation of Project @ 1%	82.69	-
Supervision Charges 12.50% to be borne by State Govt.	1033.70	-
Total Cost	9486.02	6173.25

S.D.E. / M.J.P.

attested

rk

Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pwaj Nigam
Mussoorie (Dehradun)

Cost of Land acquisition	100.00	100
Consultancy Charges for preparation of project @ 1%	82.69	
Supervision Charges 12.50% to be borne by State Govt.	1033.70	
Total Cost	9486.02	9173.26

Photo Copy Attached
 Assistant Engineer
 Construction Division
 Uttarakhand Paryaj Nigam
 Mussoorie (Dehradun)

[Signature] S.D.S. / M.J.P.
 Assistant Engineer
 Construction Division
 Uttarakhand Paryaj Nigam
 Mussoorie (Dehradun)